(36)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण क्रमांक 1941-एक/2007 - विरूद्ध आदेश दिनांक 29-10-2007 - पारित द्वारा - अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा - प्रकरण क्रमांक 448/2004-05 अपील

1- रामसिया चमार 2- रामाधार चमार
3- अंजनी चमार 4- राममिलन चमार
5- बल्ली चमार पुत्रगण छुन्नू उर्फ छुनुआ
निवासी सुहिया तहसील सिंगरोली
6- श्रीमी सीताकुमारी पुत्री छुन्नू उर्फ छुनुआ
पत्नि सूर्यवली ग्राम तेलदह
तहसील सिंगरोली जिला सीधी ——आवेदकगण

विरूद्ध

1- मोहनराम पुत्र सहदेव राम भटट
ग्राम सुहिरा तहसील सिंगरोली
2- श्रीमती फूलमतिया पुत्री महेश्वर चमार
पत्नि कंचन ग्राम बम्होरा तहसील सिंगरोली
3- श्रीमती कितविया पुत्री महेश्वर चमार
पत्नि लालजी चमार ग्राम भुडकुड़ तहसील सिंगरोली ——अनावेदकगण

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री एस0के0अवस्थी)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री के0के0द्विवेदी)

आ दे श

(आज दिनांक 4 - 10 -2017 को पारित)

अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के प्रकरण क्रमांक 448/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-10-07 के विरूद्ध मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत निगरानी प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि ग्राम सुहिरा स्थित भूमि सर्वे क्रमांक 321 रकबा 9.08 के अॅश रकबा 4.60 एकड़ पर पॅजीकृत विक्रय

पत्र दिनांक 28-7-77 के आधार पर नामान्तरण की प्रार्थना की गई। इस आवेदन को तहसील न्यायालय ने निरस्त कर दिया, जिसके विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 15/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-1-2003 से अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय को निर्देश दिये कि हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर देकर , जांच उपरांत पुनः आदेश पारित किया जाय। तहसील न्यायालय में प्रकरण वापिस होने पर नायव तहसीलदार सिंगरोली ने कमांक 184अ-6/01-02 पर पंजीबद्व किया तथा आदेश दिनांक 15-9-2003 पारित करके नामान्तरण आवेदन पुनः निरस्त कर दिया । इस आदेश के विरूद्व अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली के समक्ष अपील की गई। अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 0/2003-04 अपील में पारित आदेश दिनांक 31-3-05 से अपील स्वीकार कर नायव तहसीलदार सिंगरोली का आदेश दिनांक 15-9-03 निरस्त कर दिया तथा प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रत्यावर्तित किया कि आदेश दिनांक 27-1-2003 में दिये गये निर्देशों के अनुरूप पालन करते हुये सम्यक विवेचना के साथ पुनः आदेश पारित किया जाय। इस आदेश के विरूद्व अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण कमांक 448/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-10-07 से अपील निरस्त कर दी। इसी आदेश के विरूद्व यह निगरानी है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

4/ उभय पक्ष के अभिभाषकों के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि जब अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली ने प्रकरण कमांक 15/2002-03 अपील में पारित आदेश दिनांक 27-1-2003 से अपील स्वीकार कर तहसील न्यायालय को निर्देश दिये थे कि हितबद्व पक्षकारों को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाय एंव अभिलेखों की जॉच की जावे, नायव तहसीलदार सिंगरोली ने आदेश दिनांक 15-9-03 पारित करने के पूर्व अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 27-1-03 में दिये निर्देशों के अनुरूप कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण

नायव तहसीलदार सिंगरोली के त्रृटिपूर्ण आदेश दिनांक 15-9-03 को निरस्त करके अनुविभागीय अधिकारी सिंगरोली को पुनः कार्यवाही के निर्देश देना पड़े। अनुविभागीय अधिकारी के प्रत्यावर्तन आदेश दिनांक 31-3-05 के फलस्वरूप तहसील न्यायालय में दोनों पक्षों को पक्ष रखने एंव सुनवाई का पर्याप्त अवसर प्राप्त होगा, जिसके कारण अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा ने प्रकरण क्रमांक 448/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-10-07 में अनुविभागीय अधिकारी के आदेश को हस्तक्षेप योग्य नहीं माना है और इन्हीं कारणों से अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा का आदेश दिनांक 29-10-07 भी हस्तक्षेप योग्य नहीं है।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन होने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, रीवा संभाग, रीवा द्वारा प्रकरण क्रमांक 448/04-05 अपील में पारित आदेश दिनांक 29-10-07 उचित होने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर